

संख्या:10/10/2019-उ0नि0(पूर्व)/ 4469-4869.

भारत सरकार

दूरभाष(फै0): 22870793

Govt. of India

22874053

गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग

Ministry of Home Affairs, Deptt. of Official Language

हिन्दी शिक्षण योजना

Hindi Teaching Scheme

E-mail: ddhts-east-dol.nic.in

निजाम पैलेस, 18वाँ तल,

Nizam palace, 18th Floor

234/4, ए0जे0सी0बोस रोड, कोलकाता-20

234/4, A.J.C. Bose Road, Kolkata-20

दिनांक 28.11.18

सेवा में

संपर्क अधिकारी (हिंदी)

कार्यालय प्रमुख/प्रशासनिक अधिकारी/हिंदी अधिकारी(राजभाषा)

भारत सरकार के मंत्रालय/विभाग/राष्ट्रीयकृत बैंक/उपक्रम/निगम/निकाय आदि,
हावड़ा/कोलकाता ।

**विषय :- हिंदी शिक्षण योजना के अधीन जनवरी-मई, 2019 सत्र की हिंदी प्रबोध, प्रवीण
प्राज्ञ एवं पारंगत दीर्घकालिक कक्षाओं का गठन एवं संचालन।**

महोदय/महोदया,

हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत हिंदी प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ तथा पारंगत कक्षाओं के प्रशिक्षण का नया सत्र गुरुवार 03 जनवरी, 2019 पूर्वाह्न 10.00 बजे से प्रारम्भ होगा । कृपया अपने कार्यालय से हिंदी प्रशिक्षण के लिए नामित किए जाने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची पत्र के साथ संलग्न नामांकन प्रपत्र में भरकर दो प्रतियों में इस कार्यालय में 15 दिसम्बर, 2018 तक अवश्य भिजवाने का कष्ट करें ।

हिंदी प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ एवं पारंगत के प्रशिक्षार्थियों के लिए योग्यता एवं पात्रता का निर्धारण निम्नलिखित विवरण के अनुसार किया जाए :-

प्रशिक्षण की संक्षिप्त जानकारी

उद्देश्य	पाठ्यक्रम का नाम	पात्रता	अवधि एवं परीक्षा	प्रोत्साहन
1	2	3	4	5
ये पाठ्यक्रम भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुपालन में केंद्र सरकार तथा उसके उपक्रमों निगमों, निकायों, राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि के उन अधिकारियों/ कर्मचारियों को हिंदी का सेवाकालीन प्रशिक्षण देने के लिए आयोजित किए जाते हैं, जिनके लिए यह प्रशिक्षण अनिवार्य है।	प्रबोध	यह प्रशिक्षण प्रारंभिक स्तर का है। इसमें कन्नड़, तमिल, मलयालम, तेलुगु, अंग्रेजी, मणिपुरी, मिजो, भाषा-भाषी अधिकारी/कर्मचारी प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। वे सभी अधिकारी/कर्मचारी जिन्हें प्राइमरी स्तर की हिंदी का ज्ञान नहीं है, प्रबोध प्रशिक्षण के पात्र हैं।	पाठ्यक्रम की अवधि 5 महीने एकांतर दिवस 2 घंटे या प्रतिदिन 1.25 घंटा (03 जनवरी, 2019 से मई, 2019 तक)	जो अधिकारी/ कर्मचारी इस परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे वे कार्यालय ज्ञापन सं० 21034/66/2011/ 2010-राभा (प्रशिक्षण) दिनांक 29.07.2011 के अनुसार नकद पुरस्कार पाने के हकदार होंगे। इस पर होने वाला व्यय संबंधित विभाग द्वारा वहन किया जाएगा।
	प्रवीण	यह पाठ्यक्रम माध्यमिक स्तर का है। इसमें प्रबोध परीक्षा में उत्तीर्ण अधिकारी/कर्मचारी नामित होंगे। मराठी, सिंधी, मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी, नेपाली, गुजराती, बंगला, असमिया और उड़िया भाषा भाषी अधिकारी/कर्मचारी, जिन्हें मिडिल स्तर तक की हिंदी का ज्ञान नहीं है, इसमें सीधे प्रवेश ले सकते हैं।	-वही-	
	प्राज्ञ	इसमें प्रवीण परीक्षा उत्तीर्ण तथा अन्य हिंदीतर भाषा-भाषी कार्मिकों जिनकी मातृभाषा पंजाबी, उर्दू, कश्मीरी तथा पश्तो है और जिन्हें मैट्रिक स्तर की हिंदी का ज्ञान नहीं है, प्रशिक्षण हेतु पात्र हैं।	5 महीने एकांतर दिवस 2 घंटे या प्रतिदिन 1 घंटा (03 जनवरी, 2019 से मई, 2019 तक)	
	पारंगत	केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों तथा उनके संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों, केंद्र सरकार के स्वामित्व अथवा नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सांविधिक निकायों / उद्यमों/अभिकरणों / निगम तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों के हिंदी में कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त सभी कार्मिक प्रशिक्षण हेतु पात्र हैं।	-वही-	मामला अभी राजभाषा विभाग के विचाराधीन है।

नोट:-

- जिन अधिकारियों कर्मचारियों को कार्यालय में कोई सचिवालयीन काम करने, टिप्पणियाँ लिखने या पत्र व्यवहार करने की आवश्यकता नहीं होती (जैसे स्टाफ कार ड्राइवर, इंजन ड्राइवर, रिकार्ड सॉर्टर, इलैक्ट्रिशियन, फिटर, गेस्टेटनर ऑपरेटर, डाकिया, टेलीफोन ऑपरेटर आदि उनके लिए केवल प्रबोध प्रशिक्षण अनिवार्य है।
 - जिन अधिकारियों/कर्मचारियों को सामान्यतः स्वयं कोई सचिवालयीन कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती, परंतु जिनके लिए हिंदी में पत्र व्यवहार तथा रिपोर्ट आदि का काम करने के लिए हिंदी का ज्ञान आवश्यक हो (जैसे, वैज्ञानिक, डॉक्टर, नर्स तथा प्रयोगशालाओं/वर्कशाप के पर्यवेक्षक आदि) उनके लिए प्रवीण प्रशिक्षण अनिवार्य है।
 - जिन अधिकारियों कर्मचारियों को सचिवालयीन कार्य, टिप्पणी-लेखन तथा पत्र-व्यवहार करना पड़ता है, उनके लिए प्राज्ञ प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य है।
 - जिन अधिकारियों/कर्मचारियों को हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान है वे पारंगत पाठ्यक्रम के लिए पात्र हैं।
- राजभाषा विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 14034/30/2009-रा.भा.-(प्र.) दिनांक 06 जनवरी, 2010 में छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वर्ग "घ" के कार्मिकों को वर्ग "ग" में शामिल कर लिया गया है, इसलिए महामहिम राष्ट्रपति जी के अप्रैल, 1960 के आदेशानुसार वर्ग "ग" के कार्मिकों को हिंदी भाषा/हिंदी टंकण का प्रशिक्षण दिया जाना अनिवार्य है। अतः वर्ग "घ" से वर्ग "ग" में आए उन कार्मिकों के लिए जो वर्ग "ग" श्रेणी के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता रखते हैं उनको पात्रतानुसार हिंदी प्रबोध/प्रवीण/प्राज्ञ की कक्षाओं के लिए नामित करने का कष्ट करें ताकि उनको भी प्रशिक्षण दिया जा सके।

1. परीक्षार्थियों का पंजीकरण

- हिंदी प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ एवं पारंगत के प्रशिक्षार्थियों का विवरण हिंदी प्राध्यापक/सहायक निदेशक द्वारा राजभाषा विभाग की प्रणाली में भरा जाएगा। सभी हिंदी प्राध्यापक सुनिश्चित करें कि प्रणाली में पूरा डाटा सही भरा गया है। डाटा अपलोड करने की अंतिम तिथि से हिंदी प्राध्यापकों/सहायक निदेशकों को यथासमय अवगत करा दिया जाएगा। प्रशिक्षार्थियों का विवरण प्रणाली में अपलोड करने के पश्चात तत्काल उप निदेशक(पूर्व) को ई-मेल द्वारा सूचित करें। अंतिम तिथि के बाद किसी भी प्रशिक्षार्थी का विवरण प्रणाली में अपलोड नहीं किया जा सकेगा।

2. परीक्षा एवं परीक्षा संबंधी नियम

- इन पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं मई, 2019 में आयोजित की जाएंगी।
- प्राइवेट परीक्षा के लिए परीक्षार्थियों के विधिवत भरे हुए संलग्न प्रपत्र दिनांक 15.02.2019 तक उप निदेशक(पूर्व) हिंदी शिक्षण योजना कार्यालय में पहुंच जाने चाहिए। पूर्व में प्रयोग किए जाने वाले परीक्षा फार्म अब स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
- प्राइवेट प्रशिक्षार्थियों के परीक्षा प्रपत्र द्विभाषी रूप में भरकर, नॉमिनल रोल सहित (दो प्रतियों में) उप निदेशक(पूर्व), हिंदी शिक्षण योजना का कार्यालय, 18वां तल, निजाम पैलेस, कोलकाता के कार्यालय में दिनांक 15.02.2019 तक भिजवाएं।

3. परीक्षा शुल्क

- विभिन्न पाठ्यक्रमों के केंद्रीय सरकार के कार्मिकों के लिए कोई शुल्क देय नहीं है, भारत सरकार के नियंत्रणाधीन उपक्रमों, बैंकों, निगमों आदि के सभी कार्मिकों के लिए रु. 100/- प्रति प्रशिक्षार्थी परीक्षा शुल्क देय है।
- पारंगत परीक्षा के लिए कोई शुल्क नहीं है।

4. परीक्षा शुल्क का भुगतान

* परीक्षा शुल्क का भुगतान डिमांड ड्राफ्ट द्वारा उप निदेशक(परीक्षा), हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्लीके नाम देय होगा। डिमांड ड्राफ्टका विवरण भी प्रणाली में भरा जाना अनिवार्य है तभी परीक्षा स्कंध द्वारा स्वीकृत किया जायेगा। अन्यथा परीक्षा स्कंध द्वारा उनके प्रवेश पत्र नहीं भेजे जा सकेंगे।

* परीक्षा शुल्क भारतीय स्टेट बैंक की website-www.onlinesbi.com पर ऑनलाइन भी जमा करवाया जा सकता है। ऑन लाइन द्वारा भुगतान की गई राशि की पावती रसीद उप निदेशक(परीक्षा) को भेजना अनिवार्य है।

5. पूरक परीक्षा-

* नवंबर, 2018 में आयोजित हिंदी प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ एवं पारंगत परीक्षा के किसी एक प्रश्न-पत्र में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी को पूरक परीक्षा मई, 2019 में देनी होगी इसके लिए नया आवेदन भरना होगा तथा अपने आवेदन-पत्र पर नवंबर 2018 में हुई परीक्षा का अनुक्रमांक देना होगा। अनुक्रमांक के साथ यह भी उल्लेख करना होगा कि परीक्षार्थी किस प्रश्न-पत्र में पूरक घोषित किया गया था। भारत सरकार के नियंत्रणाधीन उपक्रमों/निगमों/राष्ट्रीयकृत बैंकों/निकायों आदि के पूरक परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों को परीक्षा शुल्क के रूप में 10 रुपए का बैंक ड्राफ्ट देना होगा।

6. पाठ्यपुस्तकें

- सभी प्रशिक्षार्थियों को पाठ्य पुस्तकें हिंदी शिक्षण योजना द्वारा निःशुल्क प्रदान की जाती हैं।
- पुस्तकें देने की अंतिम तिथि सत्र जनवरी-मई के लिए 31 मार्च एवं सत्र जुलाई-नवंबर के लिए 30 सितंबर होगी। अंतिम तिथि के बाद किसी भी स्थिति में पुस्तकें नहीं दी जाएंगी

7. वित्तीय प्रोत्साहन

- राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करने और हिंदी की निर्धारित अंतिम परीक्षा पास करने पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 12 महीनों की अवधि के लिए एक वेतनवृद्धि के बराबर राशि का वैयक्तिक वेतन प्रदान किया जाता है।
- प्रशिक्षण कक्षा में जाने के लिए 1.6 कि.मी. से अधिक दूरी से आने-जाने का वास्तविक मार्ग व्यय देय है, जो उनके विभाग द्वारा दिया जाता है।
- हिंदी प्रबोध, प्रवीण एवं प्राज्ञ की परीक्षा पास करने और निर्धारित शर्तें पूरी करने पर नीचे दी गई तालिका के अनुसार नकद पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं जिनका भुगतान संबंधित कार्यालयों द्वारा ही किया जाता है।
(कार्यालय ज्ञापन सं.-212820/66-रा.भा.(प्रशिक्षण)दिनांक 29 जुलाई, 2011 देखें)

क्रमांक	पाठ्यक्रम	अंकों का प्रतिशत		
		55 प्रतिशत	60 प्रतिशत	70 प्रतिशत
1.	प्रबोध	रु.400	रु. 800	रु.1600
2.	प्रवीण	रु.600	रु.1200	रु.1800
3.	प्राज्ञ	रु.800	रु.1600	रु.2400

8. कक्षाओं में उपस्थिति

- राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 19.02.1976 के कार्यालय ज्ञापन संख्या-12014/1/74-हिंदी/1/ तथा दिनांक 11 मार्च, 1985 के कार्यालय ज्ञापन संख्या-12044/1/74-रा.भा.(घ) के अनुसार हिंदी कक्षाओं के लिए नामित अधिकारियों / कर्मचारियों का नियमित रूप से कक्षाओं में उपस्थित होना तथा सत्र के अंत में परीक्षा में बैठना अनिवार्य है।
- कक्षा में उपस्थिति, लेखन तथा वाचन के आधार पर हर माह आंतरिक मूल्यांकन के अंक केंद्र के प्राध्यापक/प्रभारी द्वारा दिए जाते हैं, जिसमें उत्तीर्ण होने पर ही प्रशिक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है, अन्यथा नहीं।

9. नई कक्षा खोलना

- यदि कोई कार्यालय अपने कार्यालय परिसर में हिंदी प्रशिक्षण केंद्र खोलने का इच्छुक है तो वह सुनिश्चित करे कि जो भी कक्षा(प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ एवं पारंगत) चलानी है उसके लिए कम से कम 10 से 15 प्रशिक्षार्थियों की संख्या उपलब्ध हो। इसके लिए उचित प्रस्ताव इस कार्यालय में दिनांक 15.12.2018 तक भेजने का कष्ट करें ताकि समय पर नियमानुसार कार्रवाई की जा सके।

10. विशेष

- सभी मंत्रालयों, विभागों, उपक्रमों, बैंकों, निगमों आदि के प्रशासनिक प्रमुखों से अनुरोध है कि वे भाषा प्रशिक्षण के लिए शेष कर्मिकों को नामित करने का कष्ट करें।
- यह भी सुनिश्चित करें कि सभी नामित प्रशिक्षार्थी, कक्षाओं में नियमित रूप से उपस्थित रहें तथा पंजीकरण फार्म भरने के साथ-साथ परीक्षा में अवश्य बैठें।
- सभी मंत्रालयों आदि से अनुरोध है कि वे कक्षाओं के गठन का यह पत्र अपने संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में भी अनिवार्य रूप से परिचालित करवाना सुनिश्चित करें।
- कक्षाओं के गठन के संबंध में जारी किए गए निदेश कोलकाता/हावड़ा क्षेत्र और उसके आस-पास के शहरों इत्यादि पर भी लागू होंगे।
- सभी कार्यालयों/विभागों के विभागाध्यक्षों से यह अनुरोध है कि सत्र जनवरी-मई 2019 के लिए अपने कार्यालयों से उपर्युक्त भाषा प्रशिक्षण हेतु अधिक से अधिक अधिकारियों/कर्मचारियों को नामित करने का कष्ट करें जिससे राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को सन् 2025 तक प्राप्त किया जा सके। राजभाषा प्रशिक्षण के इस महत्वपूर्ण कार्य में आपका सक्रिय सहयोग सराहनीय होगा।

श्री वासुदेव सिंह उप निदेशक (पूर्व) मो0- 7011484268/ 9013496567 ई.मेल- chti1124@nic .	श्रीमती मंजु शीरीन सहायक निदेशक मो0- 9831140296 फोन : 22874053 ई.मेल- chti1126@nic .
कार्यालय का पूरा पता : उपनिदेशक(पूर्व) हिंदी शिक्षण योजना 18वाँ तल, निजाम पैलेस, द्वितीय बहुतलीय भवन 234/4, ए.जे.सी.बोस रोड, कोलकाता-700020 दूरभाष : 22870793, 22874053, 22892864 E-mail: ddhts-east-dol.nic.in	श्रीमती पूनम दीक्षित सहायक निदेशक मो. 9433581287 फोन : 22874053 ई.मेल- chti1132@nic .

सभी विभागाध्यक्षों/संपर्क अधिकारियों से अनुरोध है कि वे अपने कार्यालय का पूरा पता पिन कोड सहित भेजें तथा दूरभाष एवं फैक्स नंबर भी भिजवाएं। यदि ई मेल का पता भी दे सकें तो हमें पत्राचार में बहुत सुविधा होगी।

नए पाठ्यक्रम "पारंगत" को लागू किए जाने के संबंध में जारी किए गए आदेशों के लिए कृपया राजभाषा विभाग की वेबसाइट www.raibhasha.gov.in को देखने का कष्ट करें।

भवदीय,

(वासुदेव सिंह)

उप निदेशक(पूर्व)

chti-1124

दिनांक : - 11-2018

पृष्ठांकन सं. 10/10/2019-उ.नि.(पूर्व)/

प्रतिलिपि :-

1. निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, केंद्रीय कार्यालय परिसर, लोधी रोड, नई दिल्ली।
2. संयुक्त निदेशक, हिंदी शिक्षण योजना, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, केंद्रीय कार्यालय परिसर, लोधी रोड, नई दिल्ली।
3. उप निदेशक(कार्यान्वयन), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, कोलकाता।
4. सभी सहायक निदेशक/हिंदी प्राध्यापक(पूर्व), हिंदी शिक्षण योजना, कोलकाता को इस निदेश के साथ कि वे अपने-अपने कार्य क्षेत्र में स्थित विभागों/कार्यालयों में जाकर गहन संपर्क करके कक्षाओं का गठन करें तथा संपर्क कार्य की रिपोर्ट 27.12.2018 को अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करें।
5. सभी सर्वकार्यभारी अधिकारी, हिंदी शिक्षण योजना, पूर्व क्षेत्र।
6. अध्यक्ष, नराकास, केंद्र सरकार/उपक्रम एवं बैंक कोलकाता/हावड़ा को इस अनुरोध के साथ कि वे अपने सदस्य कार्यालय को इस संबंध में सूचित करने की कृपा करें।



(वासुदेव सिंह)

उप निदेशक(पूर्व)

chti-1124

नामांकन प्रपत्र

क्र.सं.	नामित अधिकारी / कर्मचारियों का नाम	पदनाम	मातृभाषा	पाठ्यक्रम जिसके लिए नामित है	सुविधाजनक प्रशिक्षण केंद्र	कार्यालय का पता व फोन नंबर	कर्मचारियों की कुल संख्या

स्थानः

दिनांक

हस्ताक्षर

नामित करने वाले अधिकारी.....

(मोहर सहित)

अधिकारी का नाम और कार्यालय का पूरा पता टेलीफोन नम्बर सहित.....

ई मेल

हिंदी शिक्षण योजना/केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान

राजभाषा विभाग

प्रशिक्षार्थी का विवरण

प्रशिक्षण सत्र:

कक्षा का नाम: प्रबोध /प्रवीण/प्राज्ञ/पारंगत/टंकण/आशुलिपि

परीक्षार्थी की स्थिति : नियमित/प्राइवेट/पत्राचार/गहन

क्र सं.	विवरण	DETAILS
1.	प्रशिक्षार्थी का नाम (हिंदी में):	Name OF candidate (BLOCK LETTERS)
2.	लिंग (स्त्री/पुरुष)	Gender(M/F)
3.	पिता/पति का नाम (हिंदी में):	Father's/Husband's name
4.	प्रशिक्षार्थी का पदनाम (हिंदी में)	Designation
5.	मातृभाषा	Mother tounge
6.	हिंदी भाषा में ज्ञान का स्तर : दसवीं से अधिक/ आठवीं से अधिक दसवीं से कम/पांचवीं से अधिक आठवीं से कम/ पांचवीं से कम/ प्रबोध/प्रवीण/प्राज्ञ	Knowledge of Hindi Above 10th/ Above 8 th less than 10 th / Above 5 th less than 8 th / Less than 5 th / Prabodh/Praveen/ Pragya
7.	मंत्रालय(हिंदी में):	Name of Ministry
8.	विभाग का नाम (हिंदी में):	Name of Department
9.	नामित करने वाले अधिकारी का नाम तथा पदनाम	Name & Designation of the Nominating officer
10.	कार्यालय का पूरा पता(हिंदी में): ई मेल/ /आईडी/दूरभाष	Full office address With E.mail ID/phone
11.	दूरभाष	Phone/mobile
12.	ई मेल/आईडी	E.mail/id of candidate
13.	आधार सं०	Adhhar No.
14.	परीक्षा शुल्क भरने का विवरण DETAILS (if doesn't belong to a Direct Central Govt office/Dept)	Amount: Details of Payment Bank Draft Number Date Name of Bank Bank Branch

नोट: कृपया अंग्रेजी का विवरण केवल (Block LETTERS) में ही भरें ।

(प्रशिक्षार्थी के हस्ताक्षर)